TEN RUPEES / दस रुपये / भारत / INDIA / COURT FEE

न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/6178 (11)

कौशल्याबाई पति रतनलाल जाट, जाति जाट
निवासी–ग्राम जेतपुरा तह. व जिला धार म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

श्वेता पति मनीष, जाति गुप्ता,
निवासी–बनियावाड़ी तह. व जिला धार म0प्र0..............................विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

(श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) क्षेत्र धार जिला धार की अपील क्रमांक 49/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 08-09-17 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है)

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम जेतपुरा तह. व जिला धार में स्थित भूमि सर्वे 497/2/2 रकबा 1.138 हे0 भूमि का विधिक विभाजन निगरानीकर्ता व विपक्षी की मौजूदगी में उसकी सहमति से किया होकर दोनों ने अपना अपना हिस्सा विधिक सहमति से तय करवा लिया व स्वयं विपक्षी ने तय करवा लिया कि वह उक्त भूमि में सर्वे नं. 497/2/2 रकबा 0.259 हे0 वह स्वयं रखेगी व जिस संबंध में स्वयं ने सहमति प्रदान की सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये व यह भी तय करवा लिया कि कौशल्याबाई का उक्त भूमि में 497/2/5 रकबा 0.879 हे0 रहेगा यह तय करवा लिया, तय कराने के बाद सहमति से स्वयं विपक्षी की मौजूदगी में विधिक रूप से तहसीलदार महोदय द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 3 में दिनांक 01/03/2014 को आदेश पारित हो गया विधिक आदेश है जो सहमति से हुआ उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 44 के तहत अपील हो सकती नहीं है स्वीकृति आदेश है स्वयं स्वीकृति के विरूद्ध जाकर मन में बदनियति आने के बाद अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व नगर क्षेत्र [illegible] अपील प्रकरण [illegible] 2015–16 [illegible]

[illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा/17/6178

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	आवेदक पक्ष अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	